राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1379/2008/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
करापवंचन–अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स माउण्ट ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.,
नीमराणा, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, ...अपीलार्थी की ओर से.
उप–राजकीय अभिभाषक।
श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17.08.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 15/उपा–भरत/07–08/आरएसटी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैकपोस्ट, शांहजहापुर, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2007 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 31(6) के तहत प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर किया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.04.2007 को वाहन संख्या GJ-9V-7847 को रोककर चैक किया गया। वाहन में लदा माल दिल्ली से नीमराणा के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल के संबंध में दस्तावेज मांग जाने पर माल प्रभारी ने बिल्टी संख्या 2400 दिनांक 08.04.2007 प्रस्तुत की जिससे प्रेषक व प्रेषिति का पता चला। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया कि उसमें अंकित टिन नं के कोड अजमेर जोन के है, जबकि फर्म अलवर जोन में स्थित है। आई.आर.टी.नं. भी प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण शास्ति का आरोपण किया गया। इन आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करके आरोपित शास्ति को अपास्त किया।उक्त आदेशों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वक्त चैकिंग के दौरान पाया कि टिन नं अजमेर जोन के है व फर्म अलवर जोन में स्थित है अतः उन्होंने शास्ति को यथावत रख प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया कि माल के साथ चालान व बिल्टी संलग्न थी, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति का आरोपण किया इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा जारी किया गया बिल्टी में अंकित टिन नं एवं आर.टी.ई नं. सही है। समस्त खरीद बिल प्रत्यर्थी कम्पनी के नाम से ही बनते है। नोटिस के जवाब में अजमेर ब्रांच का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रकार मात्र संदेह के आधार पर शास्ति का आरोपित किया जाना अनुचित है।

6. उपर्युक्त वर्णित कथनों में व प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत अपील को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रेकार्ड के परिशीलन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति मात्र संदेह के आधार पर आरोपित की गई है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज उचित थे एवं प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये तर्क भी उचित थे। निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

8. परिणामस्वरूप अपील सारहीन हो जाने के कारण अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य